क्रम-संख्या--254

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(सामान्य परिनियत नियम)

लखनऊ मंगलवार, 25 अप्रैल, 1978

वैशाख 5, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1129/सत्रह-वि0-1-30-1978

लखनऊ, 25 अप्रैल, 1978

अधिसूचना

विविध

सा0 प0 नि0—27

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक 1978 पर दिनांक 24 अप्रैल, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 8 1978 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1978]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसे 1 फरवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा।

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 1, 1939 की धारा 3 का संशोधन

2—संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(1) (क) राज्य में मोटर स्प्रिट की प्रथम बिक्री पर विक्रय-मूल्य पर आठ प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जायगा और ऐसे कर का भुगतान ऐसी बिक्री करने वाले व्यापारी द्वारा राज्य सरकार को नियत रीति से किया जायगा ;

(ख) राज्य में डीजल आयल की प्रथम बिक्री पर विक्रय मूल्य पर आठ प्रतिशत की दर से, तथा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित दिनांक से बारह प्रतिशत की दर से, कर आरोपित किया जायगा, और ऐसे कर का भुगतान ऐसी बिक्री करने वाले व्यापारी द्वारा राज्य सरकार को नियत रीति से किया जायगा ;

(ग) राज्य में अल्कोहल के प्रथम क्रय पर प्रथम दस लाख लीटर के लिए 40 पैसे प्रति लीटर की दर से और शेष के लिए 20 पैसे प्रति लीटर की दर से कर आरोपित किया जायगा, जो क्रेता द्वारा देय होगा और ऐसे कर का संग्रह और भुगतान नियत रीति से राज्य सरकार को किया जायगा।"

धारा 13 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) में, शब्द "जिसने इस अधिनियम" के पश्चात् शब्द "या इसके अधीन बनाये गये नियमों" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 14-ख का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 14-ख में, शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 22" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 21" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 1129 (2)/XVII-V-1—30-1978

Dated Lucknow, April 25, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Spirit, Diesel Oil tatha Alcohol Bikri Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 24, 1978.

THE UTTAR PRADESH SALES OF MOTOR SPIRIT, DIESEL OIL AND ALCOHOL TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. ACT NO. 8 OF 1978]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 1978.

(2) It shall be deemed to have come into force on February 1, 1978.

Amendment of section 3 of U. P. Act 1 of 1939.

2. In section 3 of the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(1) (*a*) There shall be levied on the first sale of Motor Spirit in the State, a tax at the rate of eight per cent *ad valorem*, and such tax shall be payable to the State Government in the prescribed manner by the dealer effecting such sale;

(*b*) there shall be levied on the first sale of Diesel Oil in the State, a tax at the rate of eight per cent, and from the date notified by the State Government for the purpose, at the rate of twelve per cent *ad valorem*, and such tax shall be payable to the State Government in the prescribed manner by the dealer effecting such sale;

(*c*) there shall be levied at the point of first purchase of alcohol in the State a tax at the rate of 40 paise per litre for the first million litres and at the rate of 20 paise per litre for the remainder payable by the purchaser, and such tax shall be collected and paid in the prescribed manner to the State Government."

Amendment of section 13.

3. In section 13 of the principal Act, in sub-section (1), *after* the words "punishable under this Act" the words "or rules made thereunder" shall be *inserted*.

Amendment of section 14-B.

4. In section 14-B of the principal Act, *for* the words and figures "Chapter XXII of the Code of Criminal Procedure, 1898" the words and figures "Chapter XXI of the Code of Criminal Procedure, 1973" shall be *substituted*.

Repeal and savings.

5. (1) The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Ordinance, 1978, is hereby repealed.

Ord. no. 2 of 1978.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,

R. C. DEO SHARMA,

Sachiv.